



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23863

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 443/2026

सतेंद्र एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राज कुमार धामा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना।
2. वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित करने हेतु परमादेश की मांग के लिए दायर की गई है कि वह यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 333 के तहत लंबित द्वितीय अपील संख्या 32/2008-2009 (सीता राम बनाम राजपाल व अन्य) को एक निश्चित अवधि के भीतर तय करे।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर द्वितीय अपील, जिसमें याचिकाकर्ताओं को विपक्षी पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है, वर्ष 2008-2009 से राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि द्वितीय अपील स्वीकार (एडमिट) की जा चुकी है और पक्षों को तामीला हो चुका है, अतः प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह उपरोक्त द्वितीय अपील को समयबद्ध अवधि के भीतर तय करे।
4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 333 के तहत उपरोक्त द्वितीय अपील संख्या 32/2008-2009 (सीता राम बनाम राजपाल व अन्य) को, अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से तय करे।
5. तदनुसार, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4 फरवरी, 2026

रमीज

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"